न्यायालय–अमित कुमार शुक्ला, अवर न्यायाधीश (प्रथम),नरकटियागंज
स्वत्व वाद संख्या–88/2017
CIS NO-273/2018

ईश महम्मद मियाँ.....वादी

बनाम

रामाधार तुरहा एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

24.02.2021 उभय पक्ष की पैरवी है। वादी की ओर से एक आवेदन दिनांक 07.09.2018 अंतर्गत आदेश 08 नियम 6ग के तहत दाखिल किया गया है, जिस संबंध में प्रतिवादी संख्या–1 की ओर से दिनांक 13.02.2019 को प्रत्युत्तर दाखिल किया गया है।

वादी का अपने आवेदन में कहना है कि प्रस्तुत वाद में प्रतिवादी संख्या–1 की ओर से दिनांक 03.08.2018 को प्रतिदावा दाखिल किया गया है तथा वादग्रस्त भूमि के संबंध में अधिकार, स्वत्व एवं दखल कब्जा का दावा किया गया है। साथ ही अन्य एक कट्ठा 3 धूर भूमि पर भी दावा किया गया है। इस तरह प्रतिवादी संख्या–1 द्वारा 2 कट्ठा 3 धूर भूमि पर प्रतिदावा किया गया है तथा वाद का मूल्यांकन 3,00000/–रू. किया गया है। यह कि वादी द्वारा एक कट्ठा भूमि का मूल्यांकर 60,100 रू. किया गया है तथा उस पर एडभोरलम न्याय शुल्क दाखिल किया गया है जो कि इस न्यायालय के आर्थिक क्षेत्राधिकारिता के तहत है। यह कि प्रस्तुत वाद में किया गया प्रतिदावा इस न्यायालय के आर्थिक क्षेत्राधिकारिता से अधिक है। यह कि प्रतिवादी द्वारा अपने प्रतिदावा में वादग्रस्त भूमि से अधिक की भूमि पर दावा किया गया है, ऐसी स्थिति में प्रतिवादी द्वारा किए गए प्रतिदावा को खारिज किया जाय।

इस संबंध में प्रतिवादी संख्या–1 का कहना है कि वादी का आवेदन विधि एवं तथ्य की दृष्टि में चलने योग्य नहीं है, बल्कि खारिज होने योग्य है। यह कि आदेश 8 नियम 6ग धनवाद से संबंधित है तथा प्रस्तुत वाद में लागू नहीं होता है। यह कि वादग्रस्त भूमि वादी की खतियानी भूमि है तथा संपूर्ण खतियानी भूमि पर उनके द्वारा प्रतिदावा किया गया है। जबकि प्रतिवादी द्वारा केवल एक खाता की भूमि पर वाद दाखिल किया गया है। वादी द्वारा वादग्रस्त भूमि पर भूतपूर्व जमींदार द्वारा किए गए बंदोबस्ती के आधार पर दावा किया जा रहा है, जबकि खतियानी भूमि के संबंध में भूतपूर्व जमींदार को पट्टा जारी करने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसी स्थिति में वादी का आवेदन खारिज होने योग्य है।

अभिलेख परिशीलन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद वादी द्वारा वादग्रस्त भूमि पर अपने अधिकार, स्वत्व की घोषण तथा दखल कब्जे की पुष्टि के साथ ही अन्य अनुतोषों हेतु दाखिल किया गया है। वादी द्वारा प्रतिवादी की ओर से दाखिल प्रतिदावा के संबंध में जो आर्थिक क्षेत्राधिकारिता की बात कही गई है वह इस न्यायालय पर लागू नहीं होता है। प्रस्तुत वाद वादी द्वारा एक कट्ठा भूमि के संबंध में दाखिल किया गया है, जबकि प्रतिवादी द्वारा वादग्रस्त भूमि के अलावा एक कट्ठा 3 धूर भूमि के संबंध में भी प्रतिदावा दाखिल किया गया है। ऐसी स्थिति में न्यायालय का मत है कि प्रतिवादी द्वारा दाखिल प्रतिदावा केवल वादग्रस्त भूमि के संबंध में ही किया जा सकता है तथा वादग्रस्त भूमि से इतर भूमि पर प्रतिदावा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि अन्य भूमि प्रस्तुत वाद में वादग्रस्त नहीं है। तद्नुसार वादी द्वारा दाखिल आवेदन दिनांक 07.09.2018 निस्तारित किया जाता है। वास्ते अग्रिम कार्रवाई हेतु अभिलेख दिनांक 24.03.2021 को प्रस्तुत करें।

अवर न्यायाधीश(प्रथम)